



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1536

SEIAA/2022

Date: 6/9/22

प्रति,

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),  
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

**विषय:** प्रकरण क्रमांक 7544/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि. निवासी 601/1, एरेन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पी.यू.-3, सी-21 मॉल, ए.बी रोड, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,20,000 टन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 58.431 हेक्टेयर, खसरा नं. 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 126, 137/2, 133, 141./1, 144, 146/2पी, ग्राम खोड़, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण की 742 वी बैठक दिनांक 18.08.2022 के उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

".....प्रकरण आज बैठक क्रमांक 560वीं बैठक दिनांक 12/03/22 एवं 561वीं दिनांक 21/03/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।"

प्राधिकरण द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुये सर्व सम्मिति से विस्तृत विचार व चर्चा उपरांत प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल. दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से उनके प्रकरण को Relist करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार प्रकरण परीक्षण हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1537/SEIAA/2022

दिनांक -

6/9/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
10. मेसर्स मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि. निवासी 601/1, एरेन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पी.यू.-3, सी-21 मॉल, ए.बी रोड, जिला इंदौर।
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी